पत्र सं0-विधि-ईट-भट्ठा-सीजन वर्ष 16-17/ 93 / 1920024 /वाणिज्य कर।

कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: २९ मई, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, अयोध्या जोन, अयोध्या द्वारा अपने पत्र सं0-2832 दिनांक 23-02-2019 तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा अपने पत्र सं0-2351 दिनांक 16-03-2019 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त ईट-भट्ठा सीजन वर्ष 2016-17 हेतु माह जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2017 तक अवधि हेतु जमा करायी जा चुकी समाधान राशि को रिफण्ड किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जा रही है :-

सीजन वर्ष 2016-17 (दिनांक 01-10-2016 से दिनांक 30-09-2017 तक) हेतु शासनादेश सं0-क0नि0-1750/ ग्यारह-2-2016-9(32)109 दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 से ईट निर्माता व्यापारियों के लिए लागू समाधान योजना के प्रस्तर-20 में अंकित शर्त निम्नवत् हैं :-

"जी0एस0टी0 कर प्रणाली लागू होने की तिथि से प्रश्नगत समाधान योजना स्वतः समाप्त हो जायेगी।"

1- शासन द्वारा लागू समाधान योजना की शर्तो से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत समाधान योजना केवल जी0एस0टी0 कर प्रणाली लागू होने की तिथि से पूर्व तक ही प्रचलित रही है, जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त यह योजना स्वतः समाप्त हो गयी है।

2- समाधान योजना की शर्तो के अनुसार कुल देय समाधान राशि का 50% दिनांक 20-03-2017 तक तथा शेष 50% माह, अप्रैल से सितम्बर, 2017 तक (कुल 06 माह में) बराबर किश्तों में जमा किया जाना था अर्थात् माह अक्टूबर, 2016 से माह जून, 2017 तक पूरे सीजन वर्ष हेतु कुल देय समाधान राशि का 75% तथा माह जुलाई 2017 से सितम्बर 2017 तक (03 माह में) पूरे सीजन वर्ष हेतु कुल समाधान राशि का 25% जमा होना अपेक्षित था।

3- उक्त से स्पष्ट है कि ऐसे ईट निर्माता व्यापारी, जिनके द्वारा सीजन वर्ष 2016-17 हेतु पूरे सीजन वर्ष के लिए देय कुल समाधान राशि के 75% से अधिक राशि जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व अर्थात 30 जून 2017 तक जमा करायी जा चुकी थी, को जी0एस0टी0 अवधि के 03 माह (जुलाई 2017 से सितम्बर 2017) के अनुपात में अधिक जमा समाधान राशि (पूरे सीजन वर्ष हेतु कुल देय समाधान राशि के 75% से अधिक जमा राशि) वापस किये जाने योग्य है।

4- यही अनुपातिक गणना 31 मार्च, 2017 के पश्चात् फुंकाई प्रारम्भ करने वाले नये खुदे भट्ठों के सम्बन्ध में भी समीचीन होगी।

यह पत्र शासन के पत्र सं0-686/11-2-19-9(32)/09 दिनांक 14.05.2019 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

कृपया तदनुसार अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

29/5/2019

(अजीत कुमार शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।